हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख आहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/6/25	श्रीमान जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक: न्याय / विविध / [illegible] / [illegible] दिनांक 13/2/[illegible] एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा में दि [illegible] अधिनियम 1956 की धारा 53,88,89,92क,183,188 एवं 212 के अन्तर्गत [illegible] होकर आगे सुनवाई द्वारा [illegible] जाकर उपखंडाधी की [illegible] जन सम्यक रूप से [illegible] की धारा 210 (2) में प्रदत्त [illegible] दिनांक [illegible] स्थान [illegible] पेश हुई। पक्षकरण उपस्थित / अनुपस्थित पश्चात आगे सुनवाई	

पेश हुई। वादीगण उपस्थित। वादिगण द्वारा निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम मनकी की आराजी सं- 246/8 रकबा 10 बीघा भूमि हमारे द्वारा अन्य व्यक्तियों को बेचान कर दी गई है अतः हम वाद नहीं चलाना चाहते हैं। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि का बेचान कर दिये जाने से वादी का वाद चलने योग्य नहीं है। अतः वादी को वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना सम्भव नहीं होने से वाद खारिज किया जाता है। निपटारे प्रयोजन सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

30/6/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा